

25/11/23

पञ्जावली पेशा उद्योग पञ्ज व किल्लडपण
मूल वाप के आदेशा किंवा 25/11/23
अनुसार मृतक अग्रणी संख्या एक का
विधिक जासिन / विधिक प्रतिनिधि
होना स्वयं नहीं। अतः पञ्जावली

में चाहा गया है स्पष्ट निर्दिष्टाणा का
अनुसंध किसी मृत व्यक्ति के अर्थों
में ही दिया जा सकता। मूल आदेशों का
अनुसार ही रिक्वेर की नियुक्ति की
जा चुकी है अतः उक्त पञ्जावली
प/स 2/2 राजा अशुभकारी कार्यो को
झागे चलाने का कोई आधार नहीं होने
से मिलानि किया जाता है।

पञ्जावली पञ्ज व युवा हाईकर्ट
सेक्रेटरी से कहें।

पञ्जावली पञ्ज व
(विधिक) प्रतिनिधि

सहायक अधिवक्ता
आधुरोड (सिरोही)
पञ्जावली पञ्ज व

पञ्जावली पञ्ज व
पञ्जावली पञ्ज व